संख्या- 179 /2026/ 2058 /चार-2026-2071977

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 30 जुलाई, 2026**

विषयः- राज्य संग्रहालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 26 जुलाई से 07 अगस्त, 2026 तक "डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल की स्मृति व्याख्यानमाला'' एवं उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी के आयोजन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-228/उ0प्र0सं0नि0-2(2)/2000-II दिनांक 20 जुलाई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य संग्रहालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 26 जुलाई से 07 अगस्त, 2026 तक "डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल की स्मृति व्याख्यानमाला'' एवं उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी के आयोजन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रू0 2.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है:-

क्र.सं.	मद/विवरण	अनुमानित व्यय (₹)
1	स्थानीय यातायात पर व्यय	30,000.00
2	वक्ताओं के मानदेय पर व्यय (प्रति वक्ता के मानदेय पर व्यय 1000.00)	11,000.00
3	वक्ताओं के आने-जाने, आवास एवं खान-पान पर व्यय	50,000.00
4	बैनर, स्टेशनरी, आमंत्रण पत्र एवं सर्टिफिकेट आदि पर व्यय	15,000.00
5	डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल: व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी पर व्यय	15,000.00
6	सूक्ष्म जलपान पर व्यय	45,000.00
7	मुख्य अतिथियों एवं वक्ताओं के स्वागत आदि पर व्यय	5,000.00
8	साज-सज्जा पर व्यय	10,000.00
9	पुरस्कार पर व्यय	6,000.00
10	अन्य प्रकीर्ण व्यय	13,000.00
	कुल धनराशि (रुपये दो लाख मात्र)	**2,00,000.00**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार राज्य संग्रहालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 26 जुलाई से 07 अगस्त, 2026 तक "डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल की स्मृति व्याख्यानमाला'' एवं उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी के आयोजन हेतु **रू0 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(7) उक्त धनराशि निदेशक, संग्रहालय निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संग्रहालय निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(8) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय -03-अधिष्ठान- 42- अन्य व्यय (राज्य संग्रहालय, लखनऊ) मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
https://shasanadesh.up.gov.in